<u>बोली दस्तावेज भाग-I</u>

निविदादाताओं के लिए अनुदेश

निविदा का विवरण :

1. निविदा दस्तावेज निविदा दस्तावेज भाग-I के संलग्नक-I में निर्धारित प्रारूप में विधिवत रूप से ठीक भरकर जमा किया जाना चाहिए. बोली सीलबंद लिफाफे, जिस पर बड़े अक्षरों में "..... के लिए निविदा" लिखा हो, में प्रस्तुत की जानी चाहिए. दो बोली निविदा होने की स्थिति में, प्रत्येक बोली पैकेट पर वैसा ही लिखा होना चाहिए.

2. ऑफर हर तरह से पूर्ण होने चाहिए. निविदादाताओं के लिए, तकनीकी विशिष्टताओं में प्रत्येक मद के सामने दिए गए विवरण का अनुपालन करना आवश्यक है. वाणिज्यिक ऑफर निविदा दस्तावेज के भाग-II की दर अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही होनी चाहिए. ऑफर के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या और हस्ताक्षर होने चाहिए तथा प्रस्ताव जिल्दबंद होने चाहिए. ऑफर के साथ, निर्धारित फार्म में सही धन राशि की बयाना राशि जमा होनी चाहिए. बयाना राशि जमा के बिना प्राप्त होने वाले ऑफर पहली नजर में ही अस्वीकार कर दिए जाएंगे.

3. बोलीदाताओं को दर अनुसूची के अनुसार "मात्रा और दरों की अनुसूची" में मूल्य 'कोट' करना चाहिए. सभी मूल्य भारतीय रुपयों में होंगे और ठेकेदार द्वारा अपेक्षित किसी भी प्रकार के कलपुर्जों की खरीद के लिए उन्हें कोई विदेशी विनिमय/आयात लाइसेंस उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. मालभाड़ा बीमा, कर आदि सभी शामिल करते हुए मूल्य कोट करने चाहिए.

4. इस निविदा के अंतर्गत की गई संविदा, संविदा के भाग-I में उल्लिखित सामान्य शर्तों और भाग-II में उल्लिखित विशेष शर्तों के अनुसार होंगी. किसी विवाद की स्थिति में, भाग-II की शर्तें लागू होंगी.

5. निविदादाताओं को निविदा दस्तावेज को सावधानीपूर्वक पढ़ने का परामर्श दिया जाता है. निविदा प्रस्तुत करने पर यह मान लिया जाएगा कि निविदा का अध्ययन सावधानीपूर्वक कर लिया गया है और निविदा दस्तावेजों की जांच करके इसके निहितार्थों को पूरी तरह समझ लिया है.

6. पूरी तरह से सीलबंद ऑफ़र एक लिफाफे में दो प्रतियों, अर्थात् एक मूल प्रति और एकल बोली निविदाओं के लिए बोली की एक प्रति, के साथ जमा किया जाना चाहिए. दो बोली निविदाएं होने की स्थिति में, तकनीकी बोलियां और वाणिज्यिक बोलियां अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में दो प्रतियों (एक मूल और एक फोटो-प्रति) में जमा की जानी चाहिए. सीलबंद बोलियां अधिसूचना में उल्लिखित निविदा-पेटी के बंद होने के समय से पहले प्रबंधक/क्रय, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 के पास जमा की जानी चाहिए. निविदा-पेटी क्रय अनुभाग/क्रिस के स्वागत-कक्ष में रखी जाएगी और उसी दिन क्रिस कार्यालय में टेंडर बंद होने के समय से 30 मिनट बाद निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी. यदि किसी कारणवश किसी बोली को सीलबंद पेटी के अंदर डाल पाना संभव नहीं हो तो प्रबंधक/क्रय/क्रिस को प्रस्तुत करने के समय और तारीख की पावती लेकर प्रस्तुत किया जा सकता है. प्रत्येक सीलबंद लिफाफे पर बोलीदाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की तारीख और समय लिखा होना चाहिए और प्रबंधक/क्रय/क्रिस द्वारा प्रमाणित होना चाहिए. सीधे प्राप्त इस प्रकार के प्रस्तावों का एक रिकॉर्ड भी क्रय अनुभाग/क्रिस के निविदा रजिस्टर में रखा जाएगा. सीधे प्राप्त इस प्रकार के प्रस्तावों को निविदा-पेटी में डाले गए प्रस्तावों के समकक्ष माना जाएगा.

7. दो बोली निविदा के मामले में, तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियां भी एक अलग सीडी में सॉफ्टकॉपी के रूप में संबंधित बोली वाले सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए और एकल बोली निविदा के मामले में, पूर्ण तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली वाली एक सीडी सीलबंद प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए.

8. दो बोली निविदा के मामले में, वाणिज्यिक बोली में निविदा दस्तावेज के भाग- II में दिए गए दर सूची के प्रारूप के अनुसार मूल्यों के अलावा कुछ नहीं होगा. साथ ही, तकनीकी बोली में निविदादाता द्वारा ऑफर की गई/बताई गई कोई भी वाणिज्यिक शर्त या दर नहीं होनी चाहिए.

9. दो बोली निविदा के मामले में, निविदा खोलने के निर्धारित समय और तिथि को तकनीकी बोली पहले खोली जाएगी और वाणिज्यिक निविदा इसके बाद किसी विनिर्दिष्ट तिथि, जिसकी जानकारी पात्र निविदादाताओं को तकनीकी बोली का मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद दी जाएगी, को खोली जाएगी. यदि तकनीकी मूल्यांकन/स्पष्टीकरण /निविदादाताओं के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर

मूल्यों में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है, तो बोलीदाताओं को केवल ऐसी मदों, जिनके मूल्यों में क्रिस द्वारा विशेष रूप से लिखित सूचना के आधार पर संशोधन की जरूरत है, के लिए पूरक वाणिज्यिक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है. यदि किसी पूरक वाणिज्यिक बोली की मांग की जाती है तो मूल्यांकन के समय वाणिज्यिक बोलियों की पारस्परिक स्थिति पर निर्णय लेने के लिए इन बातों पर विचार किया जाएगा.

10. डाक की देरी को स्वीकार नही किया जाएगा और बंद होने के समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा. विलंब से प्राप्त ऐसी बोलियां निविदादाताओं को वापस नहीं की जाएगी.

11. बोली-पूर्व सम्मेलन अधिसूचित किए जाने की स्थिति में, बोलीदाता निविदा के किसी और सभी तकनीकी और वाणिज्यिक पहलुओं के बारे में चर्चा करने और स्पष्टीकरण देने के लिए अधिसूचित समय और तिथि को इस सम्मेलन में भाग ले सकते हैं. यदि आवश्यकता हुई तो, बोली-पूर्व सम्मेलन के दौरान हुई चर्चा के आधार पर किसी प्रकार के संशोधनों/स्पष्टीकरणों को निविदा दस्तावेज खरीदने वाले निविदादाताओं को लिखित रूप में बताया जाएगा.

12. यह निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है.

13. निविदादाता किसी तकनीकी अथवा वाणिज्यिक शर्त के संबंध में प्रबंधक-क्रय/क्रिस से किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है. लेकिन इस तरह के स्पष्टीकरण की मांग निविदा खोले जाने की तिथि से कम से कम सात दिन पहले क्रिस/नई दिल्ली से लिखित रूप में की जानी चाहिए. निविदादाताओं को "निविदादाताओं के लिए विशेष अनुदेश" और निविदा सेट के अन्य दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए.

14. मूल मुद्रित कंपनी स्टेशनरी पर दिए गए ऑफरों पर ही विचार किया जाएगा. फैक्स द्वारा अथवा ऊपर विनिर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य प्रकार से प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा.

फॉर्मेट में संशोधन/शब्दों में किसी तरह के बदलाव स्वीकार्य नहीं होंगे. सभी प्रकार की शुद्धियों के लिए मूल प्रति पर हस्ताक्षर होने चाहिए. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की

गई बोली की दो प्रतियों में अंतर होने की स्थिति में मूल प्रति मान्य होगी. बोली की डुप्लीकेट फोटोप्रति पर स्याही से शुद्धि नहीं की जानी चाहिए.

15. किसी भी प्रकार के परिवर्तन को बोलीदाता का प्राधिकृत प्रतिनिधि विधिवत तरीके से अनुप्रमाणित करेगा. बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर (कंपनी की मुहर) होनी चाहिए. तकनीकी अपेक्षाओं के संबंध में अतिरिक्त शर्तों/अनुबंधों/विचलनों और नियमों एवं शर्तों, यदि कोई हों, का उल्लेख बोलीदाता द्वारा विचलन विवरण में स्पष्ट रूप से किया जाना चहिए, बिना कोई कारण बताए इस पर विचार करने या इसे अस्वीकार करने का अधिकार क्रिस के पास सुरक्षित है.

16. यदि बोलीदाता गलत सूचना देता है, तो उसकी बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी.

17. बोली प्रस्तुत करने पर यह मान लिया जाएगा कि बोलीदाता संबंधित कार्य की पूरी जानकारी रखता है.

18. अपूर्ण या तकनीकी रूप से गलत बोलियां बिना कोई कारण बताए सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएंगी.

19. पूरी तरह से सीलबंद बोली में अवश्य होना चाहिएः-

क) क्रिस के नाम नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में निविदा अधिसूचना में दिए गए मूल्य की ईएमडी.
ख) निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में घोषणा
ग) ओईएम उत्पादकों से प्राधिकार-पत्र
घ) प्रधान उत्पादकों से प्रतिबद्धता-पत्र
ड.) संलग्न प्रारूप के अनुसार सभी मुद्दों का बिंदु-दर-बिंदु अनुपालन :

- निविदा दस्तावेज की संविदा- भाग I की सामान्य शर्तों में दिए गए नियम एवं शर्तें.
- निविदा दस्तावेज के भाग II की संविदा संबंधी विशेष शर्तों में दिए गए नियम एवं शर्तें.
- निविदा दस्तावेज के भाग II में दी गई तकनीकी विशिष्टताएं.
- विचलन, यदि कोई हो, का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए.

च) ब्रोशर आदि के साथ प्रस्तुत किए जा रहे उत्पादों की तकनीकी जानकारी.

छ) निविदादाताओं (कृपया नोट करें कि शर्तें क्रिस द्वारा स्वीकार/अस्वीकार की जा सकती हैं) की ओर से कोई अन्य नियम एवं शर्तें.

ज) दो बोली निविदा होने की स्थिति में, निविदा दस्तावेज के भाग II में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक गैर-मूल्यांकित दर अनुसूची, **जिसका मूल्य संबंधी कॉलम खाली छोड़ दिया गया हो,** तकनीकी ऑफर के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए. हालांकि यह सत्यापित करने के लिए कि निविदादाता ने प्रत्येक मद के लिए कोट किया है, एक **सही का निशान** लगाया जाना चाहिए.

झ) निविदा दस्तावेज के भाग II में दिए अर्हता मानदंड की सूची के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज.

ण) निविदा दस्तावेज के भाग-I के अनुसार विचलन विवरण. यदि कोई विचलन नहीं हो तो कृपया, '**शून्य**' विवरण प्रस्तुत करें.

त) निविदा दस्तावेज के भाग-I अथवा भाग II में विशेष तौर से मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज.

थ) निविदा दस्तावेज के भाग-I के संलग्नक -9 के अनुसार चेक-लिस्ट.

20. क्रिस न्यूनतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी बोली को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने और/अथवा आदेशों को विभिन्न वेंडरों के पक्ष में विभाजित करने का अधिकार क्रिस के पास सुरक्षित है.

(सीपीएम/क्रिस)

बोली दस्तावेज भाग – I

क्रिस कार्यालय की संविदा की सामान्य शर्तें

1. परिभाषाएं और व्याख्याएं

जब तक कोई अन्यथा प्रसंग न हो, संविदा में.....

1.1 **'क्रिस'** का मतलब रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र है और यह प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रतिनिधि के अधीन कार्य करता है.

1.2 **'बोली की स्वीकृति'** का मतलब है, बोलीदाता को उसकी बोली स्वीकृत हो जाने की सूचना पत्र/टेलेक्स/टेलीग्राम/फैक्स या किसी ज्ञापन द्वारा देना और इसमें बोली की अग्रिम स्वीकृति भी शामिल है.

1.3 **'संविदा'** के अंतर्गत बोली आमंत्रित करना, बोलीदाताओं के लिए अनुदेश, बोली की स्वीकृति, संविदा की विशेष शर्तें और बोली की स्वीकृति में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें और रिपीट ऑर्डर, जिसे स्वीकार किया है या जिस पर ठेकेदार द्वारा कार्रवाई की गई है और औपचारिक करार, यदि किया गया है, शामिल हैं.

1.4 **ठेकेदार** का मतलब उस व्यक्ति, फर्म, बोलीदाता या कंपनी से है, जिसे क्रय आदेश प्रस्तुत किया जाता है और अन्यथा संविदा की शर्तों के अनुसार वर्जित न हो, ठेकेदार के उत्तराधिकारी(क्रेता द्वारा अनुमोदित), प्रतिनिधि, वारिस, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत अधिन्यासी, जैसा भी मामला हो, भी ठेकेदार माने जाएंगे. "ठेकेदार" और "सफल बोलीदाता" का प्रयोग इस बोली कागजात में समान अर्थों के लिए किया गया है

1.5 **'क्रेता अधिकारी'** का मतलब है, बोली की स्वीकृति पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी और कोई अधिकारी, जिसे प्रबंध निदेशक/क्रिस की ओर से संबद्ध संविदा को निष्पादित करने का प्राधिकार है.

1.6 **'क्रेता'** का मतलब है, क्रिस के लिए और क्रिस की ओर से प्रबंध निदेशक/क्रिस अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि. इसमें प्रबंध निदेशक/क्रिस के उत्तराधिकारी और अधि-न्यासी/अंतरिती भी शामिल हैं.

1.7 **'बोलीदाता/निविदादाता'** का मतलब है, व्यक्तिगत अधिकार वाली कंपनी/फर्म अथवा कॉन्सॉर्टिया का वैध सदस्य.

1.8 **'क्रिस परियोजना प्रबंधक'** संबंधित परियोजना के प्रमुख के रूप में प्राधिकृत क्रिस का पद-नामित प्रतिनिधि होता है, जो परियोजना क्रियान्वयन के संबंध में क्रिस की ओर से निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत है.

1.9 **'बोलीदाता का परियोजना प्रबंधक'** का मतलब है, बोलीदाता का पद-नामित प्रतिनिधि, जो बोलीदाता का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता है और उसे इस संविदा के अंतर्गत संविदात्मक बाध्यताएं पूरी करने का अधिकार है. वह क्रिस के साथ वन-प्वाइंट इंटरफेस होगा.

1.10 **'सेवा'** का मतलब है, ठेकेदार द्वारा संविदा विवरण में उल्लिखित सेवा उपलब्ध कराना.

i) नेटवर्किंग उपस्कर और इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कार्यालय मशीनों सहित हार्डवेयर के संबंध में.

ii) जन-शक्ति और वार्षिक अनुरक्षण संविदा के संबंध में.

iii) बोलीदाता द्वारा सप्लाई किए गए सिस्टम/एप्लीकेशन के संबंध में.

iv) प्रशिक्षण.

v) विकास और समर्थन

1.11 '**कार्मिक** ' के अंतर्गत किसी भी पार्टी के स्टाफ, कर्मचारी, एजेंट, ठेकेदार और उप ठेकेदार आते हैं और इसमें उन उप ठेकेदारों के योग्यता, अनुभव और प्रमाणन से युक्त स्टाफ, कर्मचारी, एजेंट और ठेकेदार भी शामिल हैं.

1.12 **सॉफ्टवेयर** का मतलब है, संविदा विवरण में उल्लिखित ठेकेदार द्वारा सप्लाई किए जाने वाले सिस्टम/एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर.

1.13 '**विशिष्टताएं**' का मतलब किसी उत्पाद संबंधी सभी कार्यात्मक, परिचालनिक कार्य-निष्पादन अथवा अपेक्षित अन्य विशेषताओं या निविदा दस्तावेज भाग-II या निविदा दस्तावेज के किसी संलग्नक या अनुशेष में उल्लिखित सेवा से है.

2.0 प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता और ठेकेदार का पता

निविदादाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता को एक प्राधिकार-पत्र संलग्न करना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख हो :-

2.1 "एकमात्र स्वत्वधारी" फर्म के मामले में मालिक अथवा ऐसे एकमात्र मालिक का नियुक्त अटॉर्नी

2.2 पार्टनरशिप फर्म के मामले में पार्टनरों में से कोई एक, ऐसे मामले में उसे पार्टनरशिप के कारोबार से संबंधित विवादों को पार्टनरशिप करार या पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर पंचाट को भेजने का अधिकार होना चाहिए. ऐसा कोई प्राधिकार नहीं होने की स्थिति में, निविदा पर सभी पार्टनरों को हस्ताक्षर करने चाहिए.

2.3 लिमिटेड कंपनी के मामले में कोई निदेशक या क्षेत्रीय प्रमुख अथवा सरकारी संस्थान के मामले में अपेक्षित प्राधिकार प्राप्त कोई कर्मचारी/अधिकारी, जिसे निदेशक मंडल ने एक संकल्प द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किया हो.

2.4 संविदा संबंधी सभी बातों के लिए, जिसमें इसके बाद की मध्यस्थता भी शामिल है, सभी पत्राचार निविदादाता द्वारा निविदा में दिए गए पते पर ही किए जाएंगे.

3.0 निविदादाता की अर्हता संबंधी मापदंड (सपोर्टिंग दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है, जिनके न होने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी)

3.1 एकल या सीमित निविदाओं के मामले में, केवल वही निविदादाता, जिन्हें क्रिस द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किया गया हो अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो निविदा दस्तावेज भाग- II में दी गई विशेष शर्तों के अधीन विशेष पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करता हो, संलग्नक-6 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार इस निविदा के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण कार्य-क्षेत्र के संबंध में शर्त रहित प्राधिकार के साथ भाग लेने के पात्र होंगे.

3.2 विज्ञापित/खुली निविदाओं के मामले में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित मापदंड अवश्य पूरे किए जाने चाहिएः-

3.2.1 पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में सफलतापूर्वक पूरे किए गए क्रय आदेशों की सूची, जिसमें निविदा खुलने की तिथि से पहले तक चालू वर्ष भी शामिल है, देते हुए निविदा दस्तावेज भाग- I के संलग्नक- 2 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार किए गए कार्यों का विवरण देते हुए निष्पादन क्षमता.

3.2.2 एकल बोली निविदाओं के मामले में, पैरा 3.2.1 में ऑफर की गई सूची में कम से कम एक क्रय आदेश समान कार्य-क्षेत्र के लिए ऑफर किए गए मूल्य का न्यूनतम 35 प्रतिशत होना चाहिए. ऑफर के साथ संपूर्ण कार्य-क्षेत्र और ग्राहक द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण-पत्र सहित क्रय आदेश की एक प्रति अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए. दो बोली निविदाओं के मामले में, एकल क्रय आदेश का न्यूनतम मूल्य निविदा दस्तावेज के भाग-II में दिए गए अतिरिक्त अर्हता संबंधी मापदंड के अनुसार होगा.

3.2.3 एकल बोली निविदाओं के मामले में, बोलीदाता का कुल टर्न-ओवर चालू वर्ष को छोड़कर, पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान निविदा में कोट किए गए कुल मूल्य का कम से कम तीन गुना होना चाहिए. बोली के साथ लेखा परीक्षित तुलन-पत्र संलग्न होना चाहिए. दो बोली निविदाओं के मामले में, बोलीदाता का, चालू वर्ष को छोड़कर, पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान कुल टर्न-ओवर निविदा दस्तावेज के भाग-II में दिए गए अतिरिक्त अर्हता संबंधी मापदंड के अनुसार होगा.

3.2.4 बोलीदाता को निविदा दस्तावेज के भाग-II में उल्लिखित परेषितियों से न्यूनतम 200 कि.मी. की दूरी के भीतर बिक्री बाद सेवा और सहायक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी. सर्विस केंद्रों के पते निविदा दस्तावेज के भाग- I के संलग्नक-3 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार बोली के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे.

3.2.5 निविदा दस्तावेज के भाग-II में दी गई संविदा संबंधी विशेष शर्तों के अंतर्गत निर्धारित क्षमता संबंधी कोई अन्य अपेक्षा.

3.2.6 इस सेक्शन के लिए, अपेक्षित दस्तावेजों के न होने पर प्रस्तुत बोलियां अस्वीकृत की जा सकती हैं.

3.2.7 क्रय आदेश प्रस्तुत करने से पहले क्रिस को निविदादाता के ग्राहकों के संबंध में ऊपर-वर्णित दस्तावेजों की प्रामाणिकता स्थापित करने का अधिकार होगा.

3.3 कन्सॉर्टियम बोलीदाता

3.3.1 निविदा दस्तावेज के भाग-II में विशेष रूप से अनुमति होने पर किसी कन्सॉर्टियम द्वारा प्रस्तुत बोलियां स्वीकार्य होंगी. ऐसे मामलों में, कन्सॉर्टियम के मुख्य पार्टनर को ऊपर पैरा-3.2 में दिए गए अर्हक मापदंड को पूरा करना चाहिए.

3.3.2 ऑफर के साथ कन्सॉर्टियम के सदस्यों की जिम्मेदारियां स्पष्ट करते हुए कन्सॉर्टियम के गठन संबंधी ज्ञापन की एक प्रति, जो कन्सॉर्टियम के प्रत्येक सदस्य के लिए ऊपर पैरा -2 में परिभाषित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित हो, अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए

3.3.3 संविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक कन्सॉर्टियम की संरचना में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी. लेकिन क्रय आदेश स्वीकार कर लिए जाने के बाद, यदि किसी सदस्य को बदला जाता है, तो इस तरह के परिवर्तन की घोषणा करते समय मुख्य पार्टनर को कन्सॉर्टियम के गठन संबंधी एक संशोधित ज्ञापन, जो घटकों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, क्रिस को प्रस्तुत करना होगा और

इसके लिए मुख्य पार्टनर को क्रिस को कारण स्पष्ट करने होंगे, जिन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का क्रिस को अधिकार होगा.

3.3.4 क्रय आदेश चरण के बाद, यदि कन्सॉर्टियम की संरचना में किसी तरह का परिवर्तन भी होता है, तो संविदा को पूरा करने का सारा दायित्व और दायिता मुख्य पार्टनर की होगी.

4.0 बयाना राशि जमा

4.1 बोलीदाता को बोली के साथ निविदा अधिसूचना में दर्शाए गए मूल्य के अनुसार बयाना राशि किसी वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा "क्रिस, नई दिल्ली" के पक्ष में, जारी करने की तिथि से 180 दिनों के लिए वैध डिमांड ड्राफ्ट अथवा सावधि जमा रसीद, प्रस्तुत करनी होगी.

4.2 यदि बोलीदाता बोली की अवधि के भीतर किसी प्रकार बोली से अपने को अलग कर लेता है या बोली में किसी प्रकार का संशोधन या विकृति करता है या बोली का अनादर करता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी तथा पूर्व निर्धारित या बढ़ाई गई बयाना राशि स्वीकार करने के लिए ओपन होगी.

4.3 बोली स्वीकार कर लिए जाने की सूचना मिल जाने के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर बोलीदाता द्वारा निष्पादन गारंटी बॉण्ड के अनुपालन में विफल रहने पर जमा बयाना राशि जब्त हो जाएगी. बयाना राशि के बिना प्रस्तुत बोली को पहली नजर में अस्वीकार कर दिया जाएगा

4.4 जमा बयाना राशि सफल बोलीदाता को तभी वापस की जाएगी, जब वह निर्धारित फार्मेट में अपेक्षाओं के साथ निष्पादन गारंटी बॉण्ड प्रस्तुत करेगा.

4.5 क्रेता द्वारा बयाना राशि/बोली प्रतिभूति पर निविदादाता को कोई ब्याज देय नहीं होगा.

4.6 बयाना राशि निविदाएं खोले जाने की तिथि से 180 दिन की अवधि अथवा यथा उल्लिखित वैध अवधि के लिए क्रेता के पास जमा रहेगी. यदि ऑफर की वैधता अवधि बढ़ाई जाती है, जमा बयाना राशि की अवधि भी बढ़ानी होगी, ऐसा नहीं होने की स्थिति में उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद के ऑफर पर क्रेता द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा.

4.7 क्रय आदेश दिए जाने पर क्रेता द्वारा सफल न पाए गए निविदादाताओं को बयाना राशि वापस कर दी जाएगी.

5.0 निविदा दस्तावेज पूरा करना

5.1 तकनीकी विशिष्टताओं से संबंधित अनुपालन शीट के सभी कॉलम अवश्य भरे जाएं. किसी भी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक मद के सामने अलग से दर्शाया जाना चाहिए. वित्त संबंधी बोलियों में सभी दरें स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए. दरें शब्दों और अंकों दोनो में होनी चाहिए. किसी विसंगति की स्थिति में शब्दों में भरी गई यूनिट दरें ही मान्य होंगी. बोलियां स्याही से भरी और हस्ताक्षरित होनी चाहिए.

5.2 तकनीकी विशिष्टता के अंतर्गत निर्धारित **मेक** या **ब्रैंड** को छोड़कर क्रेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत वैकल्पिक विशिष्टताएं, जो तकनीकी विशिष्टता के अंतर्गत उल्लिखित विशिष्टताओं के बराबर या उच्चतर गुणवत्ता सुनिश्चित करती है, स्वीकार करेगा. हालांकि, इस संबंध में क्रेता का निर्णय अंतिम होगा. निविदादाता को ऑफर के साथ, निविदा दस्तावेज भाग- I के संलग्नक-4 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार निविदा विशिष्टताओं से "विचलनों का विवरण" भी प्रस्तुत करना चाहिए.

5.3 किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर निविदादाता का प्राधिकृत प्रतिनिधि विधिवत् रूप से सत्यापित करेगा.

5.4 बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए. बिना हस्ताक्षर वाले पृष्ठ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा

5.5 निविदादाता प्रौद्योगिक-वाणिज्यिक बोली के साथ सभी तकनीकी सूचना और उत्पाद संबंधी ब्रॉशर प्रस्तुत करेगा. ये दस्तावेज अंग्रेजी में ही होने चाहिए.

5.6 निविदादाता को संलग्नक -7 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपना विवरण प्रस्तुत करना चाहिए.

5.7 ऊपर दिए गए उपबंधों का अनुपालन नहीं करने पर निविदा दस्तावेज अस्वीकार कर दिए जा सकते हैं

6. बोली के आमंत्रण में संशोधन

6.1 बोली बंद होने की तिथि से पहले क्रेता के पास उचित अधिसूचना या वेबसाइट के माध्यम से बोली दस्तावेजों में यथा आवश्यक पुनरीक्षण अथवा संशोधन, करने का अधिकार सुरक्षित है. इस तरह के किसी संशोधन के लिए बोलीदाता को क्रिस की वेबसाइट अवश्य देखते रहना चाहिए. क्रेता बोली खुलने की

निर्धारित तिथि को उतने दिनों के लिए, जितने दिनों में उसके विचार में बोलीदाता अपनी बोलियों को संशोधित कर सकता है, आगे बढ़ाने पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है.

7. निविदा दस्तावेज में स्पष्टीकरण, चूक और विसंगतियां

7.1 किसी बोलीदाता को निविदा दस्तावेज के किसी भाग में किसी तरह की विसंगति या चूक पता लगने पर अथवा उसके अर्थ में किसी प्रकार का संदेह होता है तो उसे इस संबंध में, बोली खुलने की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले क्रेता को अधिसूचित करना चाहिए, जिसके संबंध में वह अपेक्षित स्पष्टीकरण दे सके और शुद्धि के लिए, यदि आवश्यक हो, सभी बोलीदाताओं को लिखित अनुदेश भिजवा सकता है. हालांकि, इस आधार पर बोलीदाता को निविदा खुलने की तिथि को आगे बढ़ाए जाने की मांग करने को कोई हक़ नहीं होगा.

7.2 ऐसा समझा जाएगा कि किसी भी प्रकार की त्रुटि, जो बोली के आधार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है, से बचने का हर संभव प्रयास किया गया है और सफल बोलीदाता इसका पूरा दायित्व उठाते हुए बाद में पता चलने वाली किसी त्रुटि का जोखिम अपने ऊपर लेगा तथा इस संबंध में किसी प्रकार का दावा नही करेगा.

7.3 निविदा प्रस्तुत करने पर यह मान लिया जाएगा कि निविदादाता संबंधित कार्य-क्षेत्र को पूरी तरह से समझता है तथा उसने निविदा दस्तावेज की शर्तों और निविदा से संबंधित अपने दायित्वों एवं जिम्मेदारियों को पूरी तरह पढ़ और समझ लिया है.

8. प्रक्रिया संबंधी गोपनीयता

8.1 बोलियों के सार्वजनिक रूप से खुल जाने के बाद बोलियों की जांच, स्पष्टीकरण, मूल्यांकन और तुलना से संबंधित सूचना और क्रय आदेश दिए जाने से संबंधी सिफारिशों की जानकारी निविदादाताओं अथवा अन्य व्यक्तियों, जो इस प्रक्रिया से आधिकारिक तौर पर नही जुड़े हैं, को नहीं दी जाएगी.

8.2 यदि निविदादाता बोलियों की जांच, स्पष्टीकरण, मूल्यांकन और तुलना संबंधी प्रक्रिया तथा संविदा से संबंधित निर्णय में क्रेता को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उसकी बोली अस्वीकार की जा सकती है.

9. प्रतियां

9.1 बोलियां 2 (दो) प्रतियों (एक मूल और एक डुप्लीकेट) में दो लिफाफों में प्रस्तुत की जाएंगी और वापसी रसीद के अनुरोध के साथ रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जाएंगी अथवा निविदा-पेटी में डाली जा सकती हैं अथवा प्रबंधक/क्रय या प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपी जा सकती हैं, जो तारीख एवं समय का उल्लेख करते हुए पावती देगा.

9.2 बोलीदाता मूल प्रति और डुप्लीकेट प्रति को स्पष्ट रूप से चिह्नित करेगा. मूल प्रति और डुप्लीकेट प्रति में किसी तरह की विसंगति होने पर मूल प्रति ही प्रामाणिक मानी जाएगी. मूल की फोटो प्रति पर स्याही से किसी प्रकार की शुद्धि नहीं की जानी चाहिए.

10. बोली का खुलना

10.1 सीलबंद बोलियां ऐसे बोलीदाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी, जो निर्धारित तिथि और समय पर मौजूद रहना चाहते हैं. हालांकि, क्रेता को बोली खोलने की तिथि और समय में परिवर्तन करने का अधिकार होगा. परिवर्तित तिथि और समय के बारे में अधिसूचना दी जाएगी.

11. तकनीकी स्पष्टीकरण

11.1 बोलियों की जांच, मूल्यांकन और तुलना में सहयोग करने के लिए क्रिस निविदादाता को यूनिट दरों के ब्रेकडाउन सहित उसकी बोली के संबंध में अलग से स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है. स्पष्टीकरण और प्रत्युत्तर के लिए अनुरोध लिखित रूप से/फैक्स द्वारा किए जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति को छोड़कर, जहां बोलियों के मूल्यांकन के दौरान क्रिस के ध्यान में आने वाली अंकगणितीय त्रुटियों की शुद्धि की पुष्टि करना अपेक्षित हो, मूल्य या मूल में किसी परिवर्तन की मांग या ऑफर नहीं दी जाएगी और न ही इसके लिए कोई अनुमति दी जाएगी. ऐसे जवाब क्रिस द्वारा जारी सूचना में दी गई समय-सीमा के भीतर दिए जाएंगे, ऐसा न होने की स्थिति में क्रिस यह निष्कर्ष लेने के लिए स्वतंत्र होगा कि वेंडर को इस मामले में आगे और कुछ नहीं प्रस्तुत करना है.

11.2 बोलियों के मूल्यांकन के दौरान आवेदनों की बेंचमार्किंग के लिए, यदि वांछित हुआ तो, निविदादाता द्वारा ऑफर किए गए उत्पाद उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनुकूलता से संबंधित कोई मुदद्दा नहीं है.

12. वैधता

12.1 बोली की वैधता बोली प्रस्तुत किए जाने की आखिरी तारीख से न्यूनतम 180 दिनों के लिए अवश्य होनी चाहिए. यदि वैधता की अवधि इससे आगे बढ़ाई जाती है तो यह अवधि न्यूनतम 60 दिनों की होगी.

13. स्वीकार करने का अधिकार

13.1 ऑफर की गई मात्रा के पार्ट मद/सम्मिश्रण के लिए आदेश देने का अधिकार क्रिस का है. निविदादाताओं द्वारा ऑफर की गईं यूनिट दरें इस प्रकार के किसी पार्ट आदेश के लिए वैध होंगी. क्रिस को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार है. क्रिस कोट की गई सभी या किसी एक मद के प्रदर्शन/जांच के लिए एक या अधिक निविदादाताओं को क्रिस कार्यालय में बुला सकता है.

14. क्षतिपूर्ति और दायिताएं

14.1 ठेकेदार क्रेता को ठेकेदार, उसके एजेंटों या कर्मचारियों की किसी कार्रवाई से या कार्य करने अथवा उसे सुरक्षित रखने में हुई चूक के कारण सभी कार्रवाइयों, वादों, कार्यवाही संबंधी नुकसानों, लागतों, क्षतियों, प्रभारों, दावों तथा क्रिस/रेलवे के विरुद्ध लाई गई या से वसूली गई किसी भी प्रकार की मांगों से मुक्त रखेगा और सुरक्षा प्रदान करेगा.

14.2 संविदा संबंधी बाध्यताओं के भंग होने से उत्पन्न बोलीदाता की कुल वित्तीय दायिताएं संविदा के मूल्य से अधिक नहीं होंगी और प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति तक ही सीमित होंगी. लेकिन किसी भी बाध्यता के उल्लंघन के फलस्वरूप होने वाली दायिताएं, जो भारतीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय नियमों अथवा विनियमों अथवा बौद्धिक संपदा अधिकार

अतिक्रमण आदि में साधारणतया लागू होती हैं, इस करार से सीमित नहीं होंगी और ऐसे किसी भी उल्लघंन के लिए बोलीदाता स्वयं पूर्णतया जिम्मेवार होगा.

15. बीमा

15.1 क्रेता किसी 'पारगमन बीमा' की व्यवस्था नहीं करेगा और जब तक संविदा के अंतर्गत आने वाला सारा सामान सुपुर्दगी अनुसूची में उल्लिखित गंतव्य स्थल पर अच्छी स्थिति में नहीं पहुंच जाता, तब तक इसकी जिम्मेदारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी तथा निविदादाता परेषिती से सूचना प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर परेषिती की पूरी संतुष्टि पर गुम/क्षतिग्रस्त माल को अपने खर्च पर बिना शर्त बदलेगा/ठीक करेगा.

16 स्थानीय शर्तें

16.1 यह प्रत्येक बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा के कार्य-निष्पादन और/अथवा उसकी लागत को प्रभावित करने वाली स्थानीय शर्तों और कारकों की पूरी जानकारी रखे.

17 मूल्य

17.1 सभी मूल्य भारतीय रुपयों में होंगे और विदेशी विनिमय/आयात लाइसेंस की सुविधा नहीं दी जाएगी. मूल्यों में बोली प्रस्तुत करने के समय लागू सभी कर, ड्यूटी, लेवी, मालभाड़ा, पी एंड एफ प्रभार, बीमा आदि शामिल होगा. तथापि फर्म को अपने ऑफर में इन प्रभारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए. ऑफर में उपरोक्त प्रभारों का उल्लेख नहीं होने पर यह मान लिया जाएगा कि मूल्यों में ये सभी प्रभार शामिल हैं. ऐसे मामले में, बोलीदादाता को बोली खुलने के बाद लगाए गए ऐसे प्रभारों को बदलने/जोड़ने की मांग करने का अधिकार नहीं होगा.

17.2 सरकार द्वारा नियमों/कानूनों में बदलाव होने के फलस्वरूप किसी ड्यूटी या कर में परिवर्तन होने की स्थिति में, आदेश प्रस्तुत करने के समय लागू वास्तविक दरें केवल उन करों के लिए देय होंगी, जिनका ऑफर में स्पष्ट रूप से प्रतिशतता में उल्लेख होगा.

17.3 बोली प्रस्तुत करने के आखिरी दिन से न्यूनतम 180 की अवधि तक उद्धृत मूल्यों में कोई बदलाव नहीं आएगा.

17.4.1 क्रिस को मद के किसी भाग/ऑफर की गई मात्रा के कांबिनेशन के लिए आदेश प्रस्तुत करने का अधिकार होगा. निविदादाताओं द्वारा ऑफर की गई यूनिट दरें ऐसे किसी भाग के आदेश के लिए भी लागू होगी

18. मूल्य में गिरावट

18.1 संविदा के अंतर्गत वेंडर द्वारा सप्लाई किए गए सामान/सेवाओं के लिए प्रभारित मूल्य किसी भी स्थिति में उस न्यूनतम मूल्य से अधिक नहीं होगा, जिस मूल्य पर उसने संविदा अवधि के दौरान समान विवरण वाला सामान क्रेता सहित किसी अन्य व्यक्ति/संगठन अथवा राज्य/केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, के किसी विभाग को बेचा हो. .

18.2 यदि उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय, वेंडर विक्रय मूल्य कम करता है अथवा क्रेता सहित किसी व्यक्ति/संगठन को अथवा राज्य/केंद्र सरकार के किसी विभाग, जैसा भी मामला हो, को संविदा के तहत प्रभारित मूल्य से कम मूल्य पर बेचता है अथवा बेचने का ऑफर देता है तो इस संबंध में वेंडर ऐसी कमी अथवा बिक्री अथवा क्रेता को बिक्री के ऑफर संबंधी अधिसूचना जारी करेगा और ऐसी कमी अथवा बिक्री या बिक्री के ऑफर लागू होने की तारीख से सामग्री की आपूर्ति के लिए लिए दिए गए आदेशों संबंधी देय मूल्य में उसी अनुपात में कमी आ जाएगी.

18.3 उपर्युक्त उपबंध केवल दर संविदा निविदा पर लागू होंगे और निश्चित मात्रा की निविदा पर नहीं .

19. क्रय आदेश स्वीकार करना

19.1 बोली की अवधि की समाप्ति से पहले सफल बोलीदाता को मेल/फैक्स द्वारा सूचना भेजी जाएगी. ठेका दिए जाने के एक सप्ताह के भीतर सफल बोलीदाता क्रय आदेश के साथ संविदा के निष्पादन के लिए बैंक गारंटी की स्वीकृति भेजेगा.

20. सुपुर्दगी

20.1 निविदा दस्तावेज के भाग-II में उल्लिखित परेषितियों को माल की आपूर्ति के लिए डिलीवरी समय 3 माह अथवा निविदा दस्तावेज भाग-II में उल्लिखित सुपुर्दगी के लिए निर्धारित समय के अनुसार होगा.

20.2 संविदा में निर्धारित अथवा सामग्री/सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए बढ़ाया गया समय और तारीख संविदा की आवश्यकता माना जाएगा और सुपुर्दगी उस निर्धारित अथवा बढ़ाई गई तारीख से पहले हो जानी चाहिए.

20.3 फर्म द्वारा क्रय आदेश में उल्लिखित अवधि के भीतर सामान/सेवाओं की आपूर्ति न कर पाने की स्थिति में क्रेता को छूट होगी कि वह सुपुर्दगी अवधि को बढ़ाने के लिए उचित आधार देकर समय बढ़ा सकता है. उप-ठेकेदार की ओर से किसी विफलता अथवा देरी के मामले में बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा.

21. सुपुर्दगी में देरी के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति

21.1 सुपुर्दगी में किसी प्रकार की देरी के लिए वेंडर जिम्मेदार होगा और उसे निम्नलिखित में से कोई जुर्माना देना होगा :-

21.1.1 क्रय आदेश में दी गई मूल सुपुर्दगी अवधि के भीतर यदि निविदादाता उक्त स्वीकार्य गुणवत्ता और विनिर्दिष्ट मदों की आपूर्ति करने में विफल होता है तो क्रिस को अधिकार है कि वह प्रति सप्ताह अथवा उसके किसी भाग के लिए प्रभावित आपूर्ति के आदेश मूल्य के 0.5% की राशि की दर से क्षतिपूर्ति की वसूली कर सकता है, बशर्ते यह राशि आदेश के कुल मूल्य की अधिकतम 10% राशि तक हो सकती है.

21.1.2 कार्य निष्पादन बैंक गारंटी/बयाना राशि की जब्ती/भुनाया जाना.

21.1.3 क्षतिपूर्ति राशि की गणना संविदा के कुल मूल्य पर की जाएगी जिसमें समस्त उपस्कर और साइट पर उनके इंस्टालेशन और चालू करने के प्रभार भी शामिल होंगे. आपूर्ति की अंतिम किश्त की प्राप्ति के बाद ही आपूर्ति पूरी हुई मानी जाएगी.

21.1.4 आठ साप्ताह से अधिक देरी के बाद क्रिस को छूट होगी कि वह क्रय आदेश रद्द कर दे और बोलीदाता के जोखिम और लागत पर किसी अन्य वेंडर से मदों की खरीद कर ले. इस आधार पर क्रिस को हुए किसी नुकसान की भरपाई बोलीदाता से की जाएगी.

22. सामान्य आवश्यकताएं

22.1 निविदादाता को अपने प्रस्तुत उत्पादों के लिए तकनीकी विशिष्टियों को संबंधित ओईएम से विधिवत सत्यापित करवाकर मदवार अनुपालन अथवा ओईएम द्वारा विधिवत पृष्ठांकित तकनीकी ब्रोशर पर आधारित, का उल्लेख करना चाहिए. प्रस्तुत उत्पाद का मॉडल और मेक का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए.

22.2 क्रय आदेश जारी होने के बाद मेक अथवा ब्रांड में किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी. तथापि, विशेष परिस्थितियों, यथा, सप्लायर का बिजनेस बंद होने, ब्रांड/उत्पाद के मार्किट में न चलने, ऐसे ब्रांड/उत्पाद पर वैधानिक निषेध अथवा सरकारी कानून के कारण ठेकेदार कारणों का विस्तृत उल्लेख करते हुए मेक/ब्रांड में बदलाव के संबंध में क्रिस से लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है. वैकल्पिक ब्रांड मूल ऑफर के बराबर अथवा बेहतर होना चाहिए और ठेकेदार "क्रेता को मूल्य के विपरीत प्रभाव न पड़ने" संबंधी स्पष्ट साक्ष्य देगा. क्रिस को संविदा की शर्तों पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे अनुरोध को स्वाकीर अथवा अस्वीकार करने की छूट होगी.

22.3 निविदादाता को इस निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट वारंटी से बेहतर मानक ओईएम वारंटी, जो खरीदे गए उपकरण के साथ होती है, पर खरा उतरना चाहिए,.

22.4 निविदादाता क्रय आदेश की तारीख से कम से कम 05 वर्ष की अवधि के लिए कलपुर्जों और सॉफ्टवेयर अपडेट/पैचो की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा.

22.5 निविदादाता को बोली के तकनीकी मूल्यांकन के दौरान यदि आवश्यक हुआ, परीक्षण और बेंचमार्किंग के लिए ओईएम के साथ-साथ ऑफर किए गए उत्पाद क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली को उपलब्ध कराने होंगे.

22.6 निविदादाता ओईएम के साथ-साथ संबंधित ओईएम के बैक-टू-बैक सपोर्ट एग्रीमेंट के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराएगा.

22.7 वर्तमान प्रणाली के कामकाज को बाधित किए बिना आदेशित सिस्टम की संस्थापना की जाएगी.

22.8 निविदादाता द्वारा अपने ऑफर के साथ उपकरण और ले-आउट की योजना के संस्थापन के लिए अपेक्षित विस्तृत डिजाइन ड्राइंग तथा कनेक्शन का ब्यौरा देना होगा.

22.9 वर्तमान लाइसेंसों के अलावा लाइसेंस प्राप्त करने अथवा किसी अन्य वैधानिक अपेक्षा के लिए संस्थापन और सभी उपकरणों का काम करना निविदादाता की जिम्मेवारी होगी.

23. कार्य निष्पादन एवं वारंटी गारंटी बॉण्ड

23.1 क्रय आदेश प्राप्त होने के बाद ठेकेदार क्रय आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर संविदा के मूल्य की 10% राशि के बराबर राशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी वाणिज्यिक बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक /भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली अथवा किसी

राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंक द्वारा विधिवत प्रति-हस्ताक्षरित होना चाहिए, का कार्य निष्पादन एवं वारंटी गारंटी (पीडब्ल्यूजी) बॉण्ड संलग्न प्रोफार्मा (निविदा दस्तावेज भाग-I का संलग्नक 8) के अनुसार प्रस्तुत करेगा. संविदा के अंतर्गत सुपुर्द किए गए किसी सामान के लिए पीडब्ल्यूजी बॉण्ड वारंटी अवधि की अंतिम तारीख से आगे 3 माह तक वैध रहेगा. डिलीवरी अवधि अथवा किसी आधार पर वारंटी अवधि को बढ़ाने के मामले में ठेकेदार पीडब्ल्यूजी बॉण्ड की अवधि को उतनी अवधि तक बढ़ाएगा.

23.2 क्रेता को यह अधिकार होगा और उसका यह कानूनन हक होगा कि वह समग्र रूप से अपनी संतुष्टि के अनुरुप संदर्भाधीन संविदा के कार्य निष्पादन में अथवा उसे पूरा करने में ठेकेदार की ओर से किसी दोष, विफलता अथवा लापरवाही के मामले में पीडब्ल्यूजी बॉण्ड की समस्त राशि अथवा उसके किसी भाग को जब्त कर सकता है. क्रेता किसी गतिविधि अथवा अन्य दोष के कारण हुई क्षति के लिए पीडब्ल्यूजी बॉण्ड से उक्त नुकसान अथवा क्षति की राशि की कटौती का हकदार होगा और उसकी वसूली संविदा से कर सकेगा. क्रेता द्वारा पीडब्ल्यूजी बॉण्ड से वसूले गए नुकसान में वे सभी नुकसान शामिल होंगे, जो वारंटी अवधि के दौरान उपकरण की विफलता अथवा वारंटी अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा संविदा में उल्लिखित शर्तों के अनुसार उपकरण को ठीक करने में देरी के कारण होंगे.

23.3 संविदा के कार्यान्वित और पूरा हो जाने पर पीडब्ल्यूजी बॉण्ड जिसमें संविदा के अंतर्गत सप्लाई किए गए पूर्ण उपकरण की इंस्टालेशन, उसे चालू करना और संविदा की शर्तों के अनुसार पूर्ण उपकरण की वारंटी संबंधी बाध्यताएं पूरा करना शामिल होगा, ठेकेदार को बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा.

24. भुगतान के लिए नियम और शर्तें

24.1 परेषिती द्वारा सामग्री ठीक हालत में प्राप्त कर लेने और निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सप्लाई किए गए सभी उपकरणों की 80% मूल्य राशि का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाएगा :

i) संविदा की शर्तों के अनुसार परेषिती द्वारा सभी उपकरण ठीक हालत में प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र.

ii) क्रय आदेश में यथानिर्धारित शर्तों के अनुसार अथवा क्रिस का पूर्व-निरीक्षण प्रमाण-पत्र.

iii) वारंटी अवधि की अंतिम तारीख से 3 माह की अवधि तक संविदा मूल्य की 10% राशि के पीडब्ल्यूजी बॉण्ड की वैधता की पुष्टि.

24.2 शेष 20% राशि परेषिती की संतुष्टि पर उपकरण के इंस्टालेशन और उसके चालू हो जाने तथा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अदा की जाएगी :

i) क्रय आदेश में दी गई स्वीकृति प्रक्रिया और सारे उपकरणों के सफलतापूर्वक चालू हो जाने संबंधी निरीक्षण के अनुसार अंतिम प्रमाण-पत्र .

ii) वारंटी अवधि की अंतिम तारीख के बाद से 3 माह की अवधि तक संविदा मूल्य की 10% राशि के पीडब्ल्यूजी बॉण्ड की वैधता की पुष्टि.

iii) सप्लायर के नियंत्रण से बाहर के कारणों के आधार पर डिलीवरी की तारीख के बाद से 3 माह तक अंतिम रूप से कमीशनिंग में देरी के मामले में वास्तव में स्थापित सामग्री और सेवाओं के लिए क्रिस के परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रमाणित होने पर आंशिक-भुगतान का दावा किया जा सकता है.

iv) किसी स्थान पर सप्लायर के नियंत्रण से बाहर के कारणों के आधार पर डिलीवरी की तारीख के बाद से 6 माह तक अंतिम रूप से कमीशनिंग में देरी के मामले में, चालू नहीं किए गए शेष उपकरण मूल्य की 20% राशि सप्लायर को अदा की जा सकती है, जिसके लिए सप्लायर को न्यूनतम 12 माह के लिए वैध समान राशि की अतिरिक्त बैंक गारंटी देनी होगी, जो शेष उपकरणों के चालू हो जाने पर वापस लौटा दी जाएगी. परेषिती के कहने पर सप्लायर को अपने बिलों के साथ उक्त शेष स्थलों पर उपकरणों की पूर्ण इंस्टालेशन और कमीशनिंग की वचनबद्धता भी प्रस्तुत करनी होगी.

v) कोई इंस्टालेशन और कमीशनिंग प्रभार तथा बिक्री-बाद-सेवाओं का भुगतान, केवल वास्तविक सेवाओं की डिलीवरी अथवा बिक्री बाद-सेवा अवधि के अंत में, अथवा जैसा निविदा दस्तावेज भाग-II में उल्लिखित है, की डिलीवरी पर ही किया जा सकेगा.

25. वारंटी

25.1 निविदादाता उपकरण की स्वीकृति की तारीख से समस्त हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग उपकरणों में सभी विनिर्माण संबंधी दोषों के लिए पूर्ण कमीशनिंग की तारीख से 12 माह, अथवा सामग्री की आपूर्ति की तारीख से 18 माह, इनमें जो

कम हो, की अवधि की विस्तृत वारंटी देगा. निविदादाता द्वारा वारंटी देने के लिए ऑफर का प्रारूप निविदा दस्तावेज भाग-I में संलग्नक-5 में दिया गया है.

25.2 निविदा दस्तावेज भाग-II में उल्लिखित वारंटी अवधि 12 माह से अधिक होने पर वारंटी, पूर्ण कमीशनिंग की तारीख से निर्धारित अवधि अथवा सामग्री की आपूर्ति पूरी होने की तारीख से तय वारंटी अवधि से आगे और 6 माह के लिए लागू होगी.

26. आय-कर

26.1 यदि बोलीदाता भुगतान राशि रिलीज होने से पहले आय-कर से छूट के लिए वैध और संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है तो क्रिस द्वारा आय-कर अधिनियम के अंतर्गत बोलीदाता को किए जाने वाले भुगतानों के स्रोत से आय-कर की कटौती कर ली जाएगी.

26.2 क्रिस बोलीदाता को स्रोत से काटी गई कर राशि का प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

27. मात्रा में बढ़ोतरी अथवा कटौती

27.1 क्रेता बिना कोई कारण बताए क्रय आदेश में उल्लिखित मात्रा की अधिकतम 30% मात्रा तक बढ़ाने अथवा कम करने के लिए स्वतंत्र होगा. बोलीदाता को ऐसे संशोधन बिना कोई शर्त स्वीकार करने होंगे, बशर्ते ऐसी बढ़ोतरी अथवा कटौती क्रय आदेश के अंतर्गत आपूर्ति पूरी करने से पहले की जाती है. मात्रा में ऐसा कोई बदलाव किसी भी मद के लिए क्रय आदेश में उल्लिखित दरों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा.

28. भूल-चूक होने पर समाप्ति

संविदा भंग होने की स्थिति में क्रिस, बिना पूर्वाग्रह के, संविदा की ब्रीच के अन्य उपाय के रूप में संपूर्ण संविदा अथवा उसके किसी भाग को समाप्त करने के लिए वेंडर को भूल-चूक का लिखित नोटिस भेज सकता है, यदि :

1. वेंडर संविदा में निर्धारित समयावधि (यों) अथवा क्लाइंट द्वारा बढ़ाई गई किसी अवधि के भीतर कोई अथवा सभी बाध्यताओं को पूरा करने में विफल होता है.
2. वेंडर संविदा के अंतर्गत किसी अन्य बाध्यता (ओं) को पूरा करने में विफल होता है.

29. विवादों का निपटान और अधिकार क्षेत्र

29.1 कार्यों के अंतिम रूप से पूरा हो जाने पर यदि ठेकेदार ने क्रेता के पक्ष में "अ-दावा" प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हों तो ठेकेदार इस संविदा के अंतर्गत अथवा इसकी वजह से या इसके परिणामस्वरुप क्रेता के विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, न ही क्रेता ठेकेदार द्वारा किए गए किसी दावे पर विचार करेगा. ठेकेदार "अ-दावा" प्रमाण-पत्र के अंतर्गत आने वाली मदों के सही होने का विवाद नहीं कर सकेगा और न ही इसके संबंध में किसी पंचाट को मामला देने की मांग करेगा.

29.2 **क्रेता द्वारा अंतिम रूप से तय किए गए मामले :** संविदा के कारण अथवा इससे संबंधित उपजे सभी विवाद और किसी भी प्रकार के मतभेद, चाहे वे कार्य होने के दौरान अथवा कार्य पूरा होने के बाद अथवा संविदा की समाप्ति से पहले अथवा बाद में उपजे हों, ठेकेदार द्वारा क्रेता को सूचित किए जाएंगे और क्रेता उनकी प्रस्तुति की यथोचित समय अवधि के भीतर उन पर निर्णय लेगा और ठेकेदार को तत्संबंधी निर्णय लिखित में जारी करेगा. क्रेता अथवा क्रेता की ओर से किसी अधिकारी द्वारा, किसी मामले के संबंध में दिए और लिए गए निर्णयों, दिशानिर्देशों, वर्गीकरण, परिमापों, नक्शों और प्रमाण-पत्रों को, जो विशेषकर इन अथवा अन्य विशेष शर्तों के कारण सामने आते हैं, को "संभावित मामलों" के रूप में संदर्भित किया जाएगा और ये अंतिम माने जाएंगे और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होंगे तथा किसी अनौपचारिकता, भूल-चूक, कार्यवाही में देरी अथवा किसी अन्य आधार के कारण अथवा किसी अन्य कारण से बिना किसी अपील के इनकी अनदेखी नहीं की जाएगी.

29.3 **पंचाट की मांग** : इस संविदा के संबंध में अथवा इसके शुरु होने से पार्टियों के बीच किसी विवाद अथवा मतभेद अथवा मतभेदों अथवा प्रश्नगत किसी मामले में पार्टियों के संबंधित अधिकारों और दायित्वों, किसी कारण हुए विवाद अथवा मतभेदों अथवा क्रेता द्वारा ऐसे किसी प्रमाण-पत्र को रोक लेने, जिसके लिए ठेकेदार अपनी पात्रता का दावा कर सकता है, अथवा यदि क्रेता उचित समय के भीतर कोई निर्णय नहीं ले पाता, तो ऐसे किसी मामले में ठेकेदार विवादित मामलों पर 90 दिन तक अपना अंतिम दावा लिखित रूप में प्रस्तुत करते हुए यह मांग कर सकता है कि उक्त विवाद अथवा मतभेद को पंचाट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए. मध्यस्थता के लिए ऐसी किसी मांग में प्रश्नगत मामलों, विवाद अथवा मतभेद का ही उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए मांग की गई है, अन्य कोई विवाद या मतभेद पंचाट को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.

29.4 पंचाट के लिए मांग प्राप्त होने पर, विवादित मामले एक दो-सदस्यीय मध्यस्थ पैनल, जिनमें से एक मध्यस्थ की नियुक्ति क्रेता द्वारा और अन्य की नियुक्ति प्रबंध

निदेशक/क्रिस द्वारा विधिवत रूप से नियुक्त बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत पैनल में से की जाएगी, को प्रस्तुत किए जाएंगे. आर्बिटरेशन और रिकंसिलिएशन अधिनियम 1996 के अनुसार अंपायर की नियुक्ति की जाएगी. इसमें कोई आपत्ति नहीं की जाएगी कि मध्यस्थ एक सरकारी नौकर/अधिकारी है और वह संविदा संबंधी मामलों की पैरवी कर चुका है अथवा एक सरकारी नौकर/अधिकारी के रूप में अपनी ड्यूटी के दौरान वह विवाद अथवा मतभेद संबंधी सभी अथवा किन्हीं मामलों में अपने विचार व्यक्त कर चुका है. मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और इस संविदा की पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा. यदि मध्यस्थ की मृत्यु हो जाती है, वह कार्य करने में अनदेखी अथवा मनाही करता है अथवा त्यागपत्र देता है अथवा अन्य किसी कारण से वह काम करने में अक्षम होता है अथवा न्यायालय किसी कारणवश उसका निर्णय नहीं मानता है, तो प्रबंध निदेशक, क्रिस को यह अधिकार होगा कि वह उपर्युक्त कारणों से पद छोड़ने वाले मध्यस्थ के स्थान पर किसी अन्य मध्यस्थ की नियुक्ति कर सके.

29.5 मध्यस्थ समय-समय पर संविदा की सभी पार्टियों की सहमति से निर्णय लेने के लिए समय बढ़ा सकता है.

29.6 यदि किसी संदर्भ में दावे का मूल्य दो लाख रु. से अधिक हो जाता है तो मध्यस्थ तथ्यपरक निर्णय देगा.

29.7 पंचाट स्थल वहां होगा जहां से बोली की स्वीकृति के आदेश जारी किए जाते हैं अथवा वह स्थल जिसे प्रबंध निदेशक, क्रिस के विवेकानुसार, जैसा वह उचित समझें.

29.8 ऐसे किसी और प्रत्येक संदर्भ में, संबंधित लागतों का आकलन करना और निर्णय देना मध्यस्थ के विवेक पर होगा.

29.9 यदि ठेकेदार क्रेता से यह सूचना कि अंतिम बिल भुगतान के लिए तैयार है, प्राप्त होने के 60 दिनों की अवधि के भीतर अपने विशिष्ट और अंतिम दावे लिखित में प्रस्तुत नहीं करता, तो यह मान लिया जाएगा कि उसके कोई दावे नहीं हैं और क्रेता को उन दावों के संबंध में संविदा के अंतर्गत सभी दायिताओं से मुक्त कर दिया जाएगा.

29.10 **पंचाट की कार्यावधि के दौरान बाध्यताएं :** जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा निदेशित न हो, पंचाट की कार्यवाहियों के दौरान संविदा के अंतर्गत कार्य जारी रहेंगे और ऐसी कार्यवाहियों के कारण क्रेता द्वारा कोई भी देय भुगतान अथवा भुगतान योग्य राशि रोकी नहीं जाएगी सिवाय विवाद संबंधी भुगतानों के. तथापि, मध्यस्थ अथवा

मध्यस्थों को अधिकार होगा कि वे इस पर विचार कर सकें और निर्णय कर सकें कि क्या पंचाट की कार्यवाही के दौरान ऐसे कार्य जारी रखे जाएं अथवा नहीं.

29.11 मध्यस्थ यदि उचित समझे, शपथ-पत्र अथवा अन्य किसी माध्यम से किसी साक्ष्य को बुलाने का अधिकार होगा और पार्टियों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसी सभी अपेक्षित व्यवस्था करें जिनसे मध्यस्थ बिना किसी देरी के अपना निर्णय दे सके.

29.12 उपर्युक्त आर्बिटरेशन और रिकंसिलिएशन अधिनियम 1996 और उसमें विहित नियमों के अंतर्गत कोई वैधानिक संशोधन इस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचाट की कार्यवाहियों पर लागू होंगे.

29.13 इस संविदा के अंतर्गत न्यायालय के माध्यम से किन्हीं विवादों के निपटान के लिए न्यायाधिकार क्षेत्र दिल्ली होगा.

30. फोर्स मेज्योर

30.1 यदि इस संविदा अवधि के दौरान किसी समय किसी भी पार्टी द्वारा संपूर्ण अथवा आंशिक कार्य निष्पादन संविदा के अंतर्गत किसी बाध्यता के चलते रोका जाएगा अथवा युद्ध अथवा दुश्मनी, जनविरोधी गतिविधियों, नागरिक उपद्रव, तोड़फोड़, आगजनी, बाढ़, विस्फोटों, महामारियों, संगरोध प्रतिबंध, हड़तालों, तालाबंदियों अथवा दैवीय प्रकोप (जिन्हें यहां से आगे घटना कहा जाएगा) के कारण उसमें देरी होती है और किसी भी पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को ऐसी किसी घटना होने की तारीख से 21 दिन के भीतर सूचना दी जाती है, तो कोई भी पार्टी ऐसी किसी घटना के कारण संविदा को समाप्त नहीं करेगी न ही कोई पार्टी अन्य पार्टी से कार्य निष्पादन न होने अथवा कार्य निष्पादन में देरी के लिए क्षतिपूर्ति का कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेगी और ऐसी किसी घटना की समाप्ति अथवा उसके दूर हो जाने के बाद संविदा के अंतर्गत, जहां तक व्यवहार्य हो, डिलीवरी शुरु करेगी और डिलीवरी शुरु की जाए अथवा नहीं इसके लिए क्रेता का निर्णय अंतिम और निश्चायक होगा बशर्ते यदि संपूर्ण अथवा आंशिक कार्य निष्पादन इस संविदा के अंतर्गत ऐसी किसी घटना के कारण 60 दिन से अधिक अवधि के लिए रोका जाता है अथवा उसमें देरी होती है, तो कोई भी पार्टी अपने विकल्प पर संविदा को समाप्त कर सकती है जिसमें यह शर्त भी होगी कि यदि इस खण्ड के अंतर्गत संविदा समाप्त होती है, तो क्रेता को यह छूट होगी कि वह आपसी

सहमति से अपने तय मूल्य पर, जो अंतिम होगा, सफल निविदादाता से उक्त संविदा वापस ले सके. संविदा की या उसके किसी भाग की ऐसी समाप्ति के समय सफल निविदादाता के पास रखी सभी अप्रयुक्त, क्षतिग्रस्त न हुई और स्वीकार्य सामग्री, खरीदे गए और निर्माण के दौरान स्टोर किए गए कलपुर्जे, जिन्हें क्रेता ठीक समझता है, सफल निविदादाता क्रेता की सहमति से ऐसी सामग्री, खरीदे गए कलपुर्जे और माल को अपने पास रखने के लिए रोक सकता है.

31. ऑफर का मूल्यांकन :

31.1 एकल बोली निविदाएं :

31.1.1 अर्हक मापदण्ड पूरा करने वाले बोलीदाताओं की तकनीकी रूप से उपयुक्त निविदाओं में से न्यूनतम लागत आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा. ऑफर की सापेक्ष वाणिज्यिक रैंकिंग के लिए परियोजना के संपूर्ण कार्य-क्षेत्र संबंधी सभी मूल्य सहित निविदा दस्तावेज भाग-II के दर शेड्यूल में ऑफर किए गए मूल्यों के साथ-साथ ऑफर के आधार पर करों अथवा शुल्कों के कारण ऑफर के एक अंश के रूप में आने वाली अन्य कोई लागतें शामिल होंगी.

31.1.2 निविदादाता द्वारा निविदा दस्तावेजों में की गई मांग से अधिक ऑफर की गई अतिरिक्त विशेषताओं/बढ़ोतरियों पर बोलियों के मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा.

31.2 दोहरी बोली निविदाएं :

31.2.1 निविदा खोले जाने की निर्धारित तारीख को तकनीकी बोलियां पहले खोली जाएंगी और मूल्य बोली बाद में निर्धारित किसी तारीख को खोली जाएगी, जिसकी जानकारी, तकनीकी मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद, तकनीकी रूप से उपयुक्त पाई गई निविदादाता फर्मों को दी जाएगी ताकि सभी ऑफरों का निष्पक्ष तकनीकी मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके.

31.2.2 वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय पारस्परिक स्थिति के निर्धारण के लिए सामान्यतः मूल मूल्य बोली के मूल्यों पर विचार किया जाएगा. हालांकि, संशोधित/अपग्रेडिड विनिर्दिष्टियों/मदों, जिनके संशोधित मूल्य बोलीदाताओं से मांगे गए हैं, के मामले में पारस्परिक स्थिति के निर्धारण के लिए पूरक

वाणिज्यिक बोली मूल्यों पर भी विचार किया जाएगा. तकनीकी रूप से उपयुक्त पाई गई बोलियों, जिनके लिए वाणिज्यिक बोलियां खोली जाती हैं, में से न्यूनतम लागत के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.

***

संलग्नक - 1

ऑफर प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

क्रिस, चाणक्यपुरी,

नई दिल्ली, पिन- 110021

संदर्भ : निविदा सं. ..... खोले जाने तारीख .....

1. हम ..... प्रमाणित करते हैं कि हम मैसर्स..... निर्माता की प्रमाणित फर्म/ प्राधिकृत एजेंट* हैं, हमारी फैक्ट्रियां ..... में स्थित हैं जहां आधुनिक उपकरण लगे हैं और हमारे द्वारा निर्मित अथवा उपयोग किए जाने वाले कलपुर्जों और समस्त सामग्री के उत्पादन के तरीकों, गुणवत्ता नियंत्रण और टेस्टिंग का निरीक्षण क्रिस के प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है. हम निम्नलिखित मदें नीचे दर्शाए गए मूल्यों पर डिलीवरी अवधि के भीतर सप्लाई करने का ऑफर देते हैं :

1. मद सं.
2. विवरण
3. विशिष्टताएं
4. यूनिट
5. मात्रा
6. प्रति यूनिट मूल्य / गंतव्य तक के लिए अदा किया गया कैरिज बीमा (भारतीय रुपए में)
7. भुगतान की शर्तें
8. डिलीवरी अवधि
9. सकल भार और प्रति यूनिट पैकेजों का परिमाप
10. क्र. सं. 6 पर दिए गए मूल्यों का ब्रेकअप.

क. फैक्टरी मूल्य (सभी कलपुर्जों की लागत सहित)

ख. सीमा शुल्क

ग. अन्य लेवी

घ. बिक्री कर

ड. पैकिंग प्रभार

च. अग्रेषण प्रभार

छ. गंतव्य को माल

ज. बीमा प्रभार (यदि कोई हो)

झ. अन्य प्रभार, यदि कोई हो (विनिर्दिष्ट किया जाए)

ण. सीआईपी गंतव्य मूल्य (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ड.)+(च)+(छ)+(ज)+(झ)

त. छूट, यदि कोई हो

थ. शुद्ध मूल्य छूट के बाद

11. इंस्टालेशन और कमीशनिंग प्रभार

2. प्रमाणित किया जाता है कि हमने निविदादाताओं के लिए निर्देशों और निविदा के साथ संलग्न संविदा की सामान्य शर्तों को समझ लिया है और निविदा दस्तावेज भाग-II में दी गई विशिष्टियों, नक्शों और/अथवा पैटर्न की भली-भांति जांच कर ली है. यदि यह संविदा हमें सौंपी जाती है, तो हम संविदा की सामान्य शर्तों और निविदा दस्तावेजों के अनुसार निविदा की अन्य शर्तों को मानने के लिए सहमति देते हैं.

3. यदि आप उद्धृत मूल्य पर निविदा स्वीकार करें और निविदा खुलने की तारीख से 180 दिन की अवधि तक इस ऑफर को स्वीकृति के लिए स्वीकार करें, तो हम उपर्युक्त उल्लिखित माल/सेवाओं अथवा उसके ऐसे किसी भाग की आपूर्ति का ऑफर देते हैं.

4. .....के बराबर राशि की बयाना राशि/बोली गारंटी राशि निर्धारित फार्म में संलग्न है.

5. हमारे पास ऑफर की गई मदों के विनिर्माण और विपणन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक औद्योगिक लाइसेंस है.

तिथि..... 20

.....

निर्माता/निविदादाता के हस्ताक्षर और मोहर

टिप्पणी :

1. ऑफर इस प्रोफार्मा के अनुरूप प्रस्तुत करनी चाहिए. निविदादाता ऑफर देने के लिए अपना लेटर-हैड इस्तेमाल कर सकता है.

<u>संलग्नक -2</u>

<u>कार्य-निष्पादन विवरण</u>

चालू वर्ष सहित पिछले 3 कैलेंडर वर्षों में समान कार्यों/पूरी हुई सप्लाई (इंस्टाल अथवा चालू की गई) की सूची.

क्लाइंट का नाम	क्रय आदेश सं. और तारीख	सप्लाई की गई मदें और पूरा होने की तारीख	संपर्क सूत्र और टेलीफोन नं.

तारीख:

हस्ताक्षर:

नाम:

कंपनी:

मोहर:

संलग्नक -3

बिक्री -बाद सेवा केंद्र

नीचे दिए गए सेवा केंद्र पूरी तरह काम कर रहे हैं और इनमें बिक्री बाद संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी उपकरण और कुशल जनशक्ति उपलब्ध है तथा ये सभी सेवा केंद्र इस संविदा के अंतर्गत हमारे सप्लाई किए गए उपकरणों के परेषिती स्थलों की परिधि में स्थित हैं.

परेषिती का नाम निविदा दस्तावेज भाग-II	परेषिती साइट स्थल	निकटतम सेवा केंद्र का पता	संपर्क सूत्र और टेलीफोन नं.

तारीख:

हस्ताक्षर:

नाम:

कंपनी:

मोहर:

संलग्नक - 4

निविदा की शर्तों में कुछ फेरबदल करने संबंधी विवरण के लिए प्रोफार्मा

निविदा दस्तावेज के भाग-I में निहित निविदा की सामान्य शर्तों और निविदा दस्तावेज के भाग-II में दी गई विशेष शर्तों में निविदादाताओं के लिए निर्देशों में अपेक्षित किसी प्रकार के विचलन का विवरण इस प्रकार है:-

खंड	**विचलन**	**टिप्पणी**
(औचित्य)		

संलग्नक -5

वारंटी

हम आश्वस्त करते हैं कि हमारे द्वारा सप्लाई किए जाने वाले उपकरण एकदम नए, बाधा मुक्त, निर्माण और सामग्री गुणवत्ता संबंधी बाधाओं खराबियों तथा दोषों से रहित होंगे और उच्चतम ग्रेड के होंगे और आदेशित सामग्री के लिए स्थापित और सामान्यतया स्वीकार्य मानकों के समकक्ष उनकी विनिर्दिष्टियों, नक्शों और नमूनो, यदि कोई हों, से पूरी तरह मेल खाते होंगे और उचित प्रकार कार्य करेंगे. हम इनके कुशल और प्रभावी संचालन के लिए पूर्ण जिम्मेवार हैं. यह वारंटी सामान के निरीक्षण के लिए और भुगतान तथा उसके स्वीकार होने तक होगी, किंतु यह उनके सफल संस्थापन और क्रेता द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद ..... माह (जिसे वारंटी अवधि कहा जाएगा) के बाद अथवा सामग्री की सप्लाई पूरी होने की तारीख से वारंटी अवधि जमा 6 माह के बाद समाप्त हो जाएगी.

हम आगे भी आश्वस्त करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित फंक्शन, यदि कोई हों, निर्माता की विनिर्दिष्टियों और हमारे स्पष्टीकरणों के अनुरूप होंगे और इस फर्मवेयर का संचालन अबाधित और त्रुटिरहित रहेगा तथा सभी सॉफ्टवेयर खराबियां, यदि कोई हुईं, तो हमारे द्वारा ठीक की जाएंगी.

वारंटी के अंतर्गत उपर्युक्त उल्लिखित बाध्यताओं में श्रम, कलपुर्जों के अनुरक्षण (उपचारात्मक और गैर-निर्धारित) और साइट से निर्माताओं के कार्यस्थल पर ले जाने और वापस लाने और मरम्मत/एडजस्टमेंट के लिए परिवहन प्रभार साइट पर उपकरण के किसी हिस्से के बदलाव, जो सामान्य देख-भाल और सही उपयोग तथा अनुरक्षण के चलते उसके डिजाइन, सामग्री अथवा बनावट में खराबी आ जाती है अथवा प्रभावी और कुशल तरीके से अथवा विनिर्दिष्टियों के अनुरूप काम करना बंद कर देता है और जिसके लिए क्रेता द्वारा सप्लायर को अविलंब सूचित करना पड़ता है, संबंधी सभी लागतें और कर शामिल होंगे.

---------- ----------

गवाह के हस्ताक्षर निविदादाता के हस्ताक्षर

तारीख :

कंपनी की मोहर

<u>संलग्नक - 6</u>

ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) से प्राधिकार के लिए प्रोफार्मा

(यदि बोलीदाता किसी ओईएम का प्राधिकृत प्रतिनिधि है तो उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

सं..... तारीख.....

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

क्रिस, चाणक्यपुरी,

नई दिल्ली, पिन- 110021

महोदय,

विषय : क्रिस, नई दिल्ली की निविदा सं.....

हम ....., ... के एक स्थापित और सुप्रसिद्ध निर्माता हैं. हमारी फैक्ट्रियां ..... में और कार्यालय ..... में स्थित हैं. हम निविदा सं. ..... के मामले में बोली, समझौता वार्ता करने और संविदा को अंतिम रूप देने के लिए अपनी ओर से मैसर्स ..... (एजेंटों का नाम और पता) को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करते हैं.

इस विनिर्दिष्ट निविदा के मामले में बिजनेस के लिए हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए मैसर्स ..... के अलावा कोई कंपनी/फर्म अथवा व्यक्ति प्राधिकृत नहीं है.

भवदीय,

(नाम)

मैसर्स ..... के लिए और की ओर से

(निर्माताओं का नाम)

टिप्पणी: यह प्राधिकार पत्र संबंधित निर्माता के लैटर-हैड पर होना चाहिए और इस पर निर्माता की ओर से पावर ऑफ अटार्नी प्राप्त सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए.

संलग्नक : 7

बोलीदाता की अपनी जानकारी :

1. बोलीदाता की प्रस्ताव संख्या और तारीख:
2. बोलीदाता का नाम और पता :
3. बोलीदाता का पता :
4. पिछले 3 वित्तीय वर्षों का टर्नओवर:
5. सहभागिता , यदि कोई हो:
6. उस अधिकारी का नाम और पता जिससे इस संविदा के सभी संदर्भों संबंधी जानकारी ली जा सके. अधिकारी का टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स और ई-मेल.
7. कोई अन्य बिंदु जिसका निविदादाता उल्लेख करना चाहे.

हस्ताक्षर:

नाम/पदनाम:

कंपनी का नाम/पता :

मोहर :

हस्ताक्षर:

तारीख:

<u>संलग्नक</u> : 8

संविदा के निष्पादन एवं वारंटी गारंटी बॉण्ड के लिए संविदा मूल्य के 10% भाग की बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

संदर्भ…….. तारीख ……..

बैंक गारंटी सं.……

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र,
चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली – 110 021.

1. संविदा की अग्रिम स्वीकृति के अनुसार दिनांक ..... की निविदा सं. …… के अंतर्गत .....की (यहां से आगे संविदा कहा जाएगा) आपूर्ति के लिए प्रबंध निदेशक/ क्रिस (यहां से आगे क्रिस कहा जाएगा) और …… (यहां से आगे 'ठेकेदार' कहा जाएगा) के बीच हुए समझौते के संदर्भ में यह प्रमाणित किया जाता है कि ठेकेदार की मांग पर हम ……बैंक लिमिटेड, प्रबंध निदेशक /क्रिस के पक्ष में ……की राशि (यहां राशि शब्दों में लिखें), ठेकेदार द्वारा उक्त संविदा के किन्हीं नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने के फलस्वरूप प्रबंध निदेशक/क्रिस को होने वाले किसी नुकसान या क्षति अथवा इसकी किसी संभावना और/अथवा ठेकेदार द्वारा उक्त संविदा के किन्हीं नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन से कार्य-निष्पादन पर पड़ने वाले असर के कारण प्रबंध निदेशक/क्रिस को होने वाली नुकसान राशि या क्षति, जो हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी, से मुक्त और सुरक्षित रखने के लिए धरोहर राशि के रूप में रख रहे हैं और मांगे जाने पर उक्त नुकसान या क्षति की राशि का भुगतान हम बिना किसी विलंब के प्रबंध निदेशक/क्रिस को तत्काल करेंगे.

2. हम, ……बैंक लिमिटेड, इससे भी सहमत हैं कि यहां दी गई गारंटी ठेकेदार द्वारा उक्त संविदा के संतोषजनक कार्य-निष्पादन और सभी शर्तें पूरी किए जाने यथा ..... (अर्थात् संविदा के अंतर्गत सप्लाई की गई सामग्री/सेवाओं की वारंटी की अंतिम तारीख के बाद 3 माह तक) तक लागू और प्रभावी रहेगी, जिसे "उक्त तारीख" कहा जाएगा और यदि हमारे खिलाफ कोई दावा बनता है या निकलता है तो ..... बैंक लिमिटेड इस गारंटी

के फलस्वरूप उक्त तारीख से पहले इस तथ्य के होते हुए भी कि उक्त तारीख के बाद 6 माह के भीतर इसे लागू किया गया है, हमारे .....बैंक लिमिटेड के लिए बाध्यकारी रहेगा, इस गारंटी पत्र के अंतर्गत क्रिस से इस आशय का नोटिस प्राप्त होने पर भुगतान शीघ्र किया जाएगा.

3. यह पूर्णतया ज्ञात है कि यह गारंटी उक्त संविदा की तिथि से प्रभावी है और हम,.....बैंक लि. यह वचन देते हैं कि इस गारंटी के प्रचलन के दौरान क्रिस से लिखित रूप में प्राप्त सहमति के बगैर इसे रद्द नहीं करेंगे.

4. हम.....बैंक लि. इस बात से भी सहमत हैं कि क्रिस इसमें अंतर्निहित हमारे दायित्वों को प्रभावित किए बगैर उक्त संविदा के नियमों एवं शर्तों में कोई परिवर्तन करने अथवा समय-समय पर ठेकेदार द्वारा कार्य-निष्पादन का समय बढ़ाने या किसी समय तक स्थगित करने अथवा समय-समय पर ठेकेदार के विरूद्ध क्रिस द्वारा प्रयोज्य शक्तियों और उक्त संविदा से संबंधित किन्हीं नियमों एवं शर्तों से मुक्त होने या इन्हें लागू करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होगा तथा हम.....बैंक लि. उक्त ठेकेदार को दिए जा रहे समय-विस्तार में किसी परिवर्तन के कारण अथवा क्रिस की ओर से किसी स्थगन या भूल अथवा उक्त ठेकेदार के प्रति क्रिस के अनुग्रह अथवा कोई अन्य मामले, जो क्रिस को इस गारंटी के अंतर्गत अपने दायित्वों से मुक्त रखते हैं, के कारण इस गारंटी के अंतर्गत हम अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होंगे.

5. हम.....बैंक लि. इस बात से भी सहमत हैं कि इसके अंतर्गत दी गई गारंटी उक्त संविदा की संरचना में किसी तरह के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी.
चालू वर्ष को छोड़कर

तिथि..... हस्ताक्षर.....

स्थान..... मुद्रित नाम.....

साक्षी..... पदनाम.....

.....

बैंक की मुहर

<u>संलग्नक – 9</u>

<u>महत्वपूर्ण सूचना</u>

(क) अपने-आप में पूर्ण ऑफर प्रस्तुत करने वाले निविदादाताओं की मदद के लिए निम्नलिखित चेक-लिस्ट तैयार की गई है. अपूर्ण ऑफर निरस्त कर दिया जाएगा. निविदादाता कृपया सूची को ध्यान से पढ़ें और आवश्यक कार्रवाई करें.

<u>जांच सूची</u>

1. क्या आपने संपूर्ण ऑफर प्रस्तुत किया है?
इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

(क)	अपेक्षित बयाना राशि दस्तावेज बोली दस्तावेज भाग – I के पैरा 4.0 के अनुसार	प्रस्तुत/नहीं प्रस्तुत
(ख)	निर्धारित प्रोफार्मा में कोटेशन- बोली दस्तावेज भाग - I के संलग्नक - 1	प्रस्तुत/नहीं प्रस्तुत
(ग)	कार्य निष्पादन विवरण बोली दस्तावेज भाग - I के संलग्नक – 2 के अनुसार	प्रस्तुत/नहीं प्रस्तुत
(घ)	बिक्री बाद केंद्रों की जानकारी बोली दस्तावेज भाग - I के संलग्नक – 3 के अनुसार	प्रस्तुत/नहीं प्रस्तुत
(ड़)	निविदा शर्तों से विचलन संबंधी विवरण- बोली दस्तावेज भाग - I का संलग्नक - 4	प्रस्तुत/नहीं प्रस्तुत
(च)	वारंटी ऑफर प्रोफार्मा - बोली दस्तावेज भाग - I का संलग्नक - 5	प्रस्तुत/नहीं प्रस्तुत
(छ)	प्राधिकार पत्र, यदि अपेक्षित है- बोली दस्तावेज भाग - I का संलग्नक - 6	प्रस्तुत/नहीं प्रस्तुत
(ज)	ठेकेदारों की अपनी जानकारी- बोली दस्तावेज भाग – I का संलग्नक - 7	प्रस्तुत/नहीं प्रस्तुत

2. क्या आपने अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए अन्य सपोर्टिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं ? इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकता है :

(क)	क्रय आदेश की प्रति और पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्रति - बोली दस्तावेज भाग-I के पैरा–3.2.2 के अनुसार	प्रस्तुत/नहीं प्रस्तुत
(ख)	पिछले 3 वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें 'चालू वर्ष को छोड़कर बोली दस्तावेज भाग-I के पैरा–3.2.3 के अनुसार	प्रस्तुत/नहीं प्रस्तुत

3. क्या आपने मूल्य को अंकों में उद्धृत किया है शब्दों के साथ-साथ — उद्धृत किया है/नहीं किया है

.....

निर्माता/निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

*****